न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 93/2021 बउनवानी नरेश कुमार सैनी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर पुत्र श्री गंगाराम सैनी, निवासी मायापुर ढाणी मलारना डूंगर

GCMS No-2021/271

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2050–53 दिनांक 31.5.21 के अनुसार नामा0 संख्या 382 दिनांक 27.4.2004 के अनुसार न्यायालय का नाम व निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति तथा न्याया.के आदेश के अनुसार डिग्री की प्रमाणित प्रति।
2. नामा0 संख्या 992 दिनांक 20.11.2010 के अनुसार विरासत द्वारा विरासत फेलू के बजाय सूरजमल दत्तक पुत्र फेलू दत्तक पुत्र होने का गोदनामा व गोदनामा का पटटा एवं रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।
3. 55/2005 सरकार बनाम फेलू निर्णय दिनांक 2.7.2007 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति
4. ख0न0 2489 के अनुसार तह0 के डिस्पेच संख्या व दिनांक सहित की सूचना
5. नामा0 संख्या 1347 दिनांक 5.9.2014 व नामा0 संख्या 1467 दिनांक 24.6.15 व नामा0 संख्या 1645 दिनांक 26.10.16 की प्रमाणित प्रति। व ख0न0 2489 व ख0न0 2528 की प्र0प्रति।
6. नामा0 संख्या 1724 दिनांक 11.9.2017 एवं नामा0 संख्या 1782 दिनांक 5.3.2018 की प्रमाणित सूचना।
7. प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.7.21 को भेजी गयी प्रार्थना पत्र के विषय अनुसार ख0न0 2560 मे सिवायचक भूमि पर कितने बीघा पर सूरज द्वारा अवैध अमरूद के कितने पौधे लगा रखे है जिसकी सूचना तथा आपके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना और आपने कितनी वसूली की गयी वसूली कर राजकोष में कितने रूपये जमा करवाये गये तथा सिवायचक भूमि से कब तक इसका कब्जा हटायेगें सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी ए तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ./21/378 दिनांक 9.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 के बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6, की सूचना हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे नही के कारण एवं बिन्दु संख्या 7 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराने के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 5526 दिनांक 1.10.21 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6 की सूचना हेतु शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 5526 दिनांक 1.10.21 से लिखा जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील मलारना डूंगर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने एवं बिन्दु संख्या 7 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नही है। अतः अपीलान्ट बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6 की सूचना हेतु निर्धारित शुल्क तहसील मलारना डूंगर के कार्यालय जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:40 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर